

Code No. 26

कोषागार प्रपत्र 209(ए)(संशोधित)
ट्रेजरी कोड-5000

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड संख्या-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या -43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(कर्ज एवं अग्रिम की अदाएगी प्रपत्र संख्या-43 ए(2) द्वारा जमा की जायेगी)

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा :- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-गोण्डा।
- 1 जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम :- ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी, जनपद न्यायाधीश, गोण्डा
- 2 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) :-
- 3 जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) :- राजकीय वाहन संख्या-UP43G 0414 का माह अप्रैल 2023 एवं मई 2023 तक अनुमन्य सीमा से 1002 किमी० अधिक निजी प्रयोग हेतु संचालित किये जाने पर रुपये 3.00 प्रति किलोमीटर की दर से GVR का भुगतान।
- 4 जमा की जा रही धनराशि :- रुपये 3,006.00
- 5 लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/मुहर :- 0070-60-800-05-00
- 6 लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्षक	उपमुख्य शीर्षक	लघुशीर्षक	उपशीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंको में
0 0 7 0	6 0	8 0 0	0 5	0 0	3,006.00

धनराशि (शब्दों में) - रुपये तीन हजार छः मात्र

योग :- 3,006.00

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी
केंद्रीय नाजिर
जनपद न्यायालय
गोण्डा
06-6-2023

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर
26/06/2023
DISTRICT JUDGE
GONDA

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या F 20004+

दिनांक

अंको में रु०

3006

शब्दों में रु०

प्राप्त किया

भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा, गोण्डा-0084
07 JUN 2023
Anchal Srivastava
P.F. 1000429

उपकोषागार/बैंक की मुहर